



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—दर्श-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रबोधित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352]  
No. 352]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 21, 2010/ज्यैष्ठ 31, 1932

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 21, 2010/JYAISTHA 31, 1932

विष्वुत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2010

सा.का.नि. 525(अ).—गोवा राज्य सरकार, अधिसूचना सं. का.आ. 643(अ), तारीख 2 मई, 2005 द्वारा गठित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विनियामक आयोग में अचले को सम्मिलित करने के पूर्व, उक्त आयोग की संरचना को लिए संहार हो गई है और भारत सरकार को विष्वुत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 83 के अधीन सभी अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए प्रक्रियत करती है;

और केन्द्रीय सरकार, गोवा राज्य को उक्त संयुक्त आयोग में सम्मिलित होने को सुकर बनाने के लिए तारीख 2 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना का, अधिसूचना सं. का.आ. 1271(अ), तारीख 30 मई, 2008 द्वारा संशोधन करती है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार विष्वुत अधिनियम, 2003 की धारा 105 और धारा 180 की उप-धारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विष्वुत विनियामक आयोग (वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से विष्वुत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(ख) 'संयुक्त आयोग' से अधिनियम की धारा 83 के अधीन गठित गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विष्वुत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(ग) 'भाग लेने वाले राज्यों' से गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं;

(घ) 'अनुसूची' से इन नियमों से उपलब्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

2. उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और इसमें वरिपालित नहीं हैं, किन्तु विष्वुत अधिनियम, 2003 में परिपालित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में छापा हुआ है।

3. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना—(1) संयुक्त आयोग प्रत्येक पूर्व अनुसूची में विनियित प्रलेप में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें 1 अप्रैल, से अप्रैल तक तक संयुक्त वर्ष से आगामी वर्ष के 31 अक्टूबर के तक तक कियाकलापों का आर अंतर्विद्ध होगा।

(2) वार्षिक रिपोर्ट में पूर्व विविध वर्षों के दैरान के कियाकलापों का विवरण दिया जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अंतर्विद्ध होगा—

(क) संयुक्त आयोग के व्येष और उद्देश्यों का विवरण;

(ख) विशिष्टत: वर्ष के दैरान संयुक्त आयोग के समस्त फाइल किए गए मामलों की संख्या, निवाए और मामलों की संख्या, मामले के निवाए में लगे सम्बन्ध और संवित मामलों की संख्या की रिपोर्ट सम्बलित करते हुए और खंड (क) की पृष्ठभूमि में विभिन्न कियाकलापों के लिए निश्चित वार्षिक लक्षणों के साथ उन लक्षणों के संबंध में वास्तविक कार्यपालन का संक्षिप्त पुनर्विलोकन;

(ग) संयुक्त आयोग के विनियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन या परिवर्तन;

(घ) राज्य सलाहकार समिति का कार्यकरण और पण्धारियों के साथ अन्य सम्पर्क;

(ङ) महत्वपूर्ण मानदंडों जैसे पंजी लागत, विष्वुत की लागत, नए विनियाम, दक्षता तारीखों के रुक्क्षान;

(च) उन मामलों की संख्या और व्यौदै जिसमें आयोग के अदेशों या विनियमों को न्यायालयों या अपील अधिकरण में चुनौती दी गई है और ऐसे मामलों का निष्कार्य;

(ज) विवादों का समाधान जिसके अंतर्गत वर्ष के अंत में संवित विवाद भी हैं।

4. वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना.—संयुक्त आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां प्रत्येक वर्ष अक्टूबर मास के अंत तक केन्द्रीय सरकार और भाग लेने वाली राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंग्रेजित की जाएंगी।

अनुसूची

(नियम 3 देखें)

संयुक्त आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुप

1. संस्थित में आयोग का नाम।
2. आयोग का आदेश।
3. मिशन विवरण।
4. गत वर्ष।
5. प्राप्तियां और व्ययों को दर्शित करने वाले आयोग के वार्षिक लेखे।
6. उपभोक्ताओं के फायदे और सेक्टर के विकास के निर्बंधनों के अनुसार विनियामक प्रक्रिया का परिणाम।
7. आगामी वर्ष की कार्य योजना।

[फास. 47/4/2010—आर एंड आर]

प्रणय कुमार, निदेशक

MINISTRY OF POWER  
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2010

G.S.R. 525(E).—Whereas the State Government of Goa, prior to its joining the Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories constituted *vide* notification S.O. 643(E) dated the 2nd May, 2005, has agreed to the structure of the said Commission and has authorized Government of India to take all necessary action under Section 83 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

And whereas *vide* notification S.O. 1271(E) dated the 30th May, 2008 the Central Government has amended the said notification dated the 2nd May, 2005 facilitating the State of Goa to join the said Joint Commission;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 105 and clause (i) of sub-section (2) of Section 180 of the Electricity Act, 2003, the Central Government hereby makes the following rules namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Preparation of Annual Report) Rules, 2010.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,

- (a) 'Act' means the Electricity Act, 2003;
- (b) 'Joint Commission' means the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories, constituted under Section 83 of the Act;
- (c) 'Participating States' means the State of Goa and the Union Territories;
- (d) 'Schedule' means the Schedule annexed to these rules.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Electricity Act, 2003, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. **Preparation of Annual Report.**—(1) Every year, the Joint Commission shall prepare an Annual Report giving a summary of its activities during the previous year commencing from the 1st day of April to the 31st day of March of the following year in the form specified in the Schedule.

(2) The Annual Report shall give an account of the activities during the previous financial year, containing, *inter-alia*,

- (a) a statement of goals and objectives of the Joint Commission;
- (b) annual targets set for various activities in the background of clause (a) together with a brief review of actual performance with reference to those targets and including in particular a report on the number of cases filed before the Joint Commission during the year, number of cases disposed of, time taken to dispose of the cases and number of cases pending;
- (c) important additions or changes in the regulations of the Joint Commission;
- (d) functioning of the State Advisory Committees and other consultation with the stakeholders;
- (e) trends of important parameters such as capital cost, cost of electricity, new investment, efficiency gains;
- (f) number and details of cases in which orders or regulations of the Commission were challenged in Courts or Appellate Tribunal and the outcome of such cases;
- (g) resolution of disputes including the disputes pending at the end of the year.

4. **Submission of Annual Report.**—The copies of the annual report shall be forwarded by the Joint Commission to the Central Government and to the Governments of Participating State/Union Territories by the end of October each year.

SCHEDULE

(See rule 3)

FORM OF ANNUAL REPORT OF THE JOINT COMMISSION

1. The Commission in Brief.
2. The Mandate of the Commission.
3. Mission Statement.
4. The Year in Retrospect.
5. Annual Accounts of the Commission Showing Receipts and Expenditure.
6. Outcome of Regulatory Process in Terms of Benefits to Consumers and Development of Sector.
7. Work Plan for the Year Ahead.

[F. No. 47/4/2010-R&R]

PRANAY KUMAR, Director